न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 46/2020

1. सम्मा
2. बाबूदीन पिसरान पल्टा जाति शेख
3. खुर्शीद पुत्र उमरमौहम्मद जाति लुहार निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब पहाडी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :–1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा वकील प्रार्थीगण

दिनांक :– 29.09.2020

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी साबित खसरा नम्बर 2007/1/मिन नये खसरा नम्बर 2702/0.10 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है प्रार्थीगण मूल रूप से कैथवाडा तहसील पहाडी के मूल निवासी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी सम्वत 2059 लगायत 2062 में प्रार्थी का गाँव कैथवाडा दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु सेटेलमेन्ट के बाद जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में प्रार्थीगण के गाँव का नाम जाटोली दर्ज हो गया जो गलत है जिसको शुद्ध किया जाना आवश्यक है। जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में हुई गाँव के नाम की शुद्धि को शुद्ध करवाने के लिये प्रार्थीगण कानूनी रूप से पूर्ण अधिकारी है। प्रार्थीगण के अन्य खातो में ग्राम कैथवाडा ही दर्ज है। प्रार्थीगण के पास आधार कार्ड , राशन कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों में भी गाँव का नाम कैथवाडा ही दर्ज है। राजस्व नक्शे के गलत अंकन का इल्म प्रार्थीगण को नकल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल लेने पर हुआ तो प्रार्थीगण गलत अंकन को शुद्ध करवाने श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी के यहाँ गये तो तहसीलदार साहब पहाडी ने शुद्ध करने से इन्कार कर दिया और न्यायालय श्रीमान से शुद्धि के आदेश लाने को

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कहा। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में प्रार्थीगण के गाँव का नाम जाटोली के स्थान पर कैथवाडा शुद्ध किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पहडी से जाँच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पहाडी ने अपनी जाँच रिपोर्ट में बताया कि जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में प्रार्थीगण का निवास गाँव कैथवाडा दर्ज है जबकि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में भूल वश प्रार्थीगण का निवास जाटोली दर्ज कर दिया गया है। जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि दस्तावेजों में गाँव कैथवाडा ही दर्ज है।

कैथवाडा प्रथम के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का निवास स्थान जाटोली के स्थान पर कैथवाडा शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। बहस में वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण मूलतः गाँव कैथवाडा के निवासी है। परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में प्रार्थीगण के गाँव का नाम जाटोली दर्ज हो गया है। जिसे शुद्ध किया जाकर जाटोली के स्थान पर कैथवाडा किया जावें। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता आदि में भी प्रार्थीगण के गाँव का नाम कैथवाडा ही दर्ज है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं बहस पर मनन किया। संलग्न आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, का भी अवलोकन किया सभी में प्रार्थीगण के गाँव का नाम कैथवाडा दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 बांके ग्राम कैथवाडा में दर्ज सा0 जाटोली के स्थान पर सा0 कैथवाडा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner